रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] **नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 6, 2013/कार्तिक 15, 1935**

No. 253] **NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 6, 2013/KARTIKA 15, 1935**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 1 **नवम्बर**, 2013

विषयः 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' हेतु एक राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण का गठन।

सं.एफ.4-9/2013-यू. II :—आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) ने अपनी 3 अक्तूबर, 2013 को हुई बैठक में राज्य उच्चतर शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए), एक केन्द्रीय प्रायोगिक स्कीम (सीएसएस) को अनुमोदित किया है। आरयूएसए 12 और 13 योजना अवधियों के दौरान रहेगा।

2. रूसा (आरयूएसए) एक व्यापक स्कीम होगी जो मिशन मोड में कार्यान्वयन होगी जोकि राज्य उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में अन्य विद्यमान समान केन्द्रीय प्रायोजक स्कीमों को शामिल करेगी। राज्यों को वित्तपोषण, उच्चतर शिक्षा में राज्य उच्चतर शिक्षा योजना की इक्वेटी, पहुंच और उत्कृष्टता के मुद्दों के समाधान से संबंधित राज्यों की कार्यनीति के आधार पर किया जाएगा। रूसा के तहत सभी वित्तपोषण मानदण्ड आधार पर होगा तथा भविष्य में अनुदान, निष्पादन क्षमता और परिणाम पर निर्भर होगा। राज्यों और संस्थानों द्वारा कुछेक शिक्षा, प्रशासनिक और शासन सुधारों की वचनबद्धता रूसा के तहत वित्तपोषण प्राप्ति की पूर्व शर्त होगी। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए केन्द्र-राज्य वित्तपोषण 90:10 के और अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 65:35 के अनुपात में होगा । यह सहायता केवल सरकार और सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों को दी जाएगी ।

3. स्कीम के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन में सहायता के लिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में रूसा के लिए एक राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है। ये मिशन प्राधिकरण मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) का एक स्वतंत्र और स्वायत्त विंग होगा।

4. यह आदेश दिया जाता है कि रूसा पर राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण का गठन निम्नलिखित को शामिल करते हुए किया जाए:

(i)	केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री	- अध्यक्ष
(ii)	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	- उपाध्यक्ष
(iii)	अध्यक्ष, यूजीसी	- सह-अध्यक्ष
(iv)	सदस्य, योजना आयोग (उच्चतर शिक्षा प्रभारी)	- सदस्य
(v)	अध्यक्ष, एआईसीटीई	- सदस्य
(vi)	राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों के अध्यक्ष	- सदस्य
(vii)	प्रो पंकज चंद्रा, पूर्व निदेशक, आईआईएम, बंगलौर	- सदस्य
(viii)	श्री अजीत रंगनेकर, डीन, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस	- सदस्य
(ix)	प्रो दीपक पेंटल, पूर्व कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय	- सदस्य
(x)	मा.सं.वि.मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार	- सदस्य
(xi)	अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद या प्रतिनिधि	- सदस्य
(xii)	अध्यक्ष, बार कौंसिल ऑफ इंडिया या प्रतिनिधि	- सदस्य
(xiii)	सचिव, कृषि विभाग, भारत सरकार या प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो।	- सदस्य
(xiv)	सचिव, संस्कृति विभाग, भारत सरकार या प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो	- सदस्य
(xv)	सचिव, स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार या प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो।	- सदस्य
(xvi)	सचिव, एस और टी विभाग, भारत सरकार या प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो	- सदस्य
(xvii)	सचिव, खेल मंत्रालय, भारत सरकार या प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हो	- सदस्य
(xviii)	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि	- सदस्य
(xix)	संयुक्त सचिव (उ.शि.) और राष्ट्रीय मिशन निदेशक	- सदस्य सचिव

5. रूसा राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण को समय-समय पर समग्र कार्यढांचे के भीतर कार्यक्रम मानदण्ड के निर्धारण और बदलाव का अधिकार होगा। यह समग्रनीति और योजना को बदलेगा तथा इस योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के मानदण्डों में आवश्यक बदलाव करने का अधिकार होगा ताकि राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कार्यान्वयन निकायों को स्कीम के दक्षतापूर्ण एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वयन में सहायता हो और इस प्रकार से रूसा से अधिकतम लाभ मिले। यह परियोजना अनुमोदन बोर्ड के कार्य की समीक्षा करेगा तथा राज्यों को जारी करने के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड को निधियां आबंटित करेगा। यह नीतिगत सुधार और मूल्यांकन अध्ययन कराएगा तथा उसकी समीक्षा करेगा। रूसा राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण, अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय और स्थान पर छः माह में एक बार बैठक करेगा।

6. राष्ट्रीय स्तर पर एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) का गठन होगा जोकि राज्यों द्वारा प्रस्तुत राज्य उच्चतर शिक्षा योजनाओं का विस्तृत मूल्यांकन करेगा। ऐसे मूल्यांकन के आधार पर ऐसी योजनाएं पीएबी द्वारा अनुमोदित करके मानदण्डों के अनुसार राज्यों को निधियां जारी की जाएगी। ऐसे मूल्यांकन के दौरान, पीएबी ऐसी योजनाओं में कुछ बदलाव का सुझाव देगा और ऐसे मामले में राज्य आवश्यक बदलाव करेंगे तथा उसे पीएबी को विचारार्थ और मूल्यांकन के लिए पुनः प्रस्तुत करेगें। पीएबी और अन्य राष्ट्रीय कार्यान्वयन निकायों की सहायता, परियोजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक व्यवसायिक, कार्यनीति लोजिस्टिक और अन्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थापित एक तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) द्वारा की जाएगी।

7. एतदद्वारा पीएबी के गठन में निम्नलिखित होंगे:-

(i) सचिव, उच्चतर शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	- अध्यक्ष
(ii) अध्यक्ष, यूजीसी	- सह-अध्यक्ष
(iii) अध्यक्ष, एआईसीटीई	- सदस्य
(iv) सचिव, यूजीसी	- सदस्य
(v) अध्यक्ष, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद (संबंधित राज्य जिसकी योजना पर विचार किया जाना है)	- सदस्य
(vi) सचिव, संबंधित राज्य के उच्चतर शिक्षा	- सदस्य
(vii) सचिव, संबंधित राज्य के तकनीकी शिक्षा	- सदस्य
(viii) प्रो॰ शैलेन्द्र मेहता, आमंत्रित प्रोफेसर, आईआईएम, अहमदाबाद	- सदस्य
(ix) प्रो॰ बी वेंकटेश कुमार, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सरकारी और सार्वजनिक नीति, केन्द्र, टीआईएसएस	- सदस्य
(x) वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	- सदस्य
(xi) सलाहकार (उच्चतर शिक्षा), योजना आयोग	- सदस्य
(xii) संयुक्त सचिव (उ.शि.) और राष्ट्रीय मिशन निदेशक	- सदस्य संयोजक

आर. पी. सिसोदिया, संयुक्त सचिव (उ.शि.) और
रूसा मिशन निदेशक

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

RESOLUTION

New Delhi, the 1st November, 2013

Subject : Setting Up of A National Mission Authority For 'Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan'

No. F.4-9 / 2013-U.II.— The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), in its meeting held on 3rd October, 2013 approved the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA), a Centrally Sponsored Scheme (CSS) for reforming the State Higher Education System. RUSA will be spread over the 12th and 13th plan periods.

2. RUSA would be an umbrella scheme operated in mission mode that would subsume other existing similar Centrally Sponsored Schemes in the State Higher Education Sector. The funding to States would be made on the basis of State Higher Education Plans outlining the States' strategy to address issues of equity, access and excellence in higher education. All funding under RUSA would be norm based and future grants would be performance based and outcome dependent. Commitment by States and institutions to certain academic, administrative and governance reforms will be a precondition for receiving funding under RUSA. Centre-State funding would be in the ratio of 90:10 for North-Eastern States, Sikkim, J&K, Himachal Pradesh and Uttarakhand and 65:35 for other States and Union Territories. Support would be extended to only government and government aided institutions.

3. In order to facilitate the successful implementation of the scheme, the Government of India has decided to set up a National Mission Authority for RUSA in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education). The Mission Authority will be an independent and autonomous wing of the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education).

4. The National Mission Authority on RUSA is ordered to be constituted with the following composition :

(i)	Union Human Resource Minister	-	Chairperson
(ii)	Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development	-	Vice-Chairperson
(iii)	Chairperson, UGC	-	Co Vice-Chairperson
(iv)	Member, Planning Commission (in charge of higher education)	-	Member
(v)	Chairperson, AICTE	-	Member
(vi)	Chairpersons of the State Higher Education Councils	-	Members
(vii)	Prof. Pankaj Chandra, former Director- IIM, Banglore	-	Member
(viii)	Shri Ajit Rangnekar, Dean, Indian School of Business	-	Member
(ix)	Prof. Deepak Pental, former Vice-Chancellor – Delhi University		Member
(x)	Financial Advisor to MHRD	-	Member
(xi)	Chairperson, Medical Council of India or representative	-	Member
(xii)	Chairperson, Bar Council of India or representative	-	Member
(xiii)	Secretary, Department of Agriculture, Govt. of India or representative not below the rank of Joint Secretary	-	Member
(xiv)	Secretary, Department of Culture, Govt. of India or representative not below the rank of Joint Secretary	-	Member
(xv)	Secretary, Department of Health, Govt. of India or representative not below the rank of Joint Secretary	-	Member
(xvi)	Secretary, Department of S&T, Govt. of India or representative not below the rank of Joint Secretary	-	Member
(xvii)	Secretary, Department of Sports, Govt. of India or representative not below the rank of Joint Secretary	-	Member
(xviii)	Representative of Ministry of Finance, Govt. of India	-	Member
(xix)	Joint Secretary (HE) & National Mission Director	-	Member Secretary

5. The RUSA National Mission Authority will be empowered to fix and alter the programmatic norms within the overall framework of the scheme from time to time. It will delineate the overall policy and planning and will be empowered to make necessary changes in planning, implementation, monitoring and evaluation parameters so as to enable the National and State level implementing bodies to implement the Scheme efficiently and effectively so that gains from RUSA are maximised. It will review functioning of Project Approval Board and allocate funds to Project Approval Board for release to States. It may commission policy reform, thematic and evaluation studies and review the same. The RUSA National Mission Authority shall meet once in six months at such time and place as may be fixed by the Chairperson.

6. There will be set up a Project Approval Board (PAB) at the national level which would undertake detailed evaluation of the State Higher Education Plans submitted by the States. Based on such evaluation, these plans would be approved by the PAB and funds released to States as per norms. The PAB may, during the course of such evaluation suggest certain changes to these plans in which case the States would carry out the necessary changes and resubmit the

same to PAB for consideration and evaluation. The PAB and other national implementing bodies would be assisted by a Technical Support Group (TSG) to be established for providing professional, strategic, logistic and other support as may be required for implementing the project.

7. The PAB is hereby constituted with the following composition:

(i)	Secretary, Higher Education, MHRD	-	Chairperson
(ii)	Chairperson, UGC	-	Co-Chairman
(iii)	Chairperson, AICTE	-	Member
(iv)	Secretary, UGC	-	Member
(v)	Chairperson, State Higher Education Council (of the concerned State whose plans are to be considered)	-	Member
(vi)	Secretary, Higher Education of the State concerned	-	Member
(vii)	Secretary, Technical Education of the State concerned	-	Member
(viii)	Prof. Shailendra Mehta, Visiting Professor, IIM- Ahmedabad	-	Member
(ix)	Prof. B. Venkatesh Kumar, Professor & Chairperson, Centre for Governance and Public Policy, TISS	-	Member
(x)	Financial Advisor in MHRD	-	Member
(xi)	Advisor (Higher Education), Planning Commission	-	Member
(xii)	Joint Secretary (HE) & National Mission Director	-	Member – Convener

R. P. SISODIA, Jt. Secy.
(HE) & RUSA Mission Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.